

बिहार सरकार
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

पत्रांक – वि० प्रा० (II) विविध-31/2025/5133 /पटना, दिनांक- 18.09.25

प्रेषक,

अपर सचिव-सह-निदेशक,
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य

राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, बांका/भोजपुर/वैशाली/नवादा/जहानाबाद/
औरंगाबाद/नालंदा अभियंत्रण महाविद्यालय, चण्डी/दरभंगा अभियंत्रण महाविद्यालय,
दरभंगा/राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर अभियंत्रण महाविद्यालय, बेगूसराय/शेरशाह
अभियंत्रण महाविद्यालय, सासाराम।

विषय – पीएच०डी० हेतु विभागीय अनापत्ति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि निम्नलिखित सूची के स्तम्भ-2 में
अंकित सहायक प्राध्यापक को स्तम्भ-4 में उल्लिखित प्रयोजन हेतु निम्न शर्त के साथ विभागीय अनापत्ति
प्रदान की जाती है :-

क्र०सं०	सहायक प्राध्यापक का नाम/पदनाम	पदस्थापित संस्थान का नाम	NOC का प्रयोजन
1	2	3	4
1.	श्री चंदन कुमार, सहायक प्राध्यापक (असैनिक)	राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, बांका।	BEU, PATNA में अंशकालीन पीएच०डी० कोर्स में नामांकन हेतु।
2.	श्री शुभम कुमार, सहायक प्राध्यापक (यांत्रिकी)	नालंदा अभियंत्रण महाविद्यालय, चण्डी, नालंदा।	IIT, PATNA में अंशकालीन पीएच०डी० कोर्स में नामांकन हेतु।
3.	श्री संजय कुमार, सहायक प्राध्यापक (विद्युत)	राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, भोजपुर।	IIT, PATNA में अंशकालीन पीएच०डी० कोर्स में नामांकन हेतु।
4.	श्री अंकित कुमार, सहायक प्राध्यापक (यांत्रिकी)	दरभंगा अभियंत्रण महाविद्यालय, दरभंगा।	IIT, PATNA में अंशकालीन पीएच०डी० कोर्स में नामांकन हेतु।
5.	श्री ईशांत कुमार, सहायक प्राध्यापक (असैनिक)	दरभंगा अभियंत्रण महाविद्यालय, दरभंगा।	IIT, PATNA में अंशकालीन पीएच०डी० कोर्स में नामांकन हेतु।
6.	श्री धर्मेन्द्र कुमार, सहायक प्राध्यापक (यांत्रिकी)	राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, वैशाली।	IIT, PATNA में अंशकालीन पीएच०डी० कोर्स में नामांकन हेतु।
7.	श्री शुभेन्दु अमित, सहायक प्राध्यापक (असैनिक)	राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, नवादा।	NIT, PATNA में अंशकालीन पीएच०डी० कोर्स में नामांकन हेतु।
8.	श्री शशि शंकर झा, सहायक प्राध्यापक (यांत्रिकी)	राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, जहानाबाद	NIT, PATNA में अंशकालीन पीएच०डी० कोर्स में नामांकन हेतु।
9.	श्री विजय कुमार झा, सहायक प्राध्यापक (यांत्रिकी)	राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, जहानाबाद	NIT, PATNA में अंशकालीन पीएच०डी० कोर्स में नामांकन हेतु।
10.	मो आतिफ अरशद, सहायक प्राध्यापक (विद्युत)	राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, जहानाबाद	NIT, PATNA में अंशकालीन पीएच०डी० कोर्स में नामांकन हेतु।
11.	श्री विकाश रजक, सहायक प्राध्यापक (EEE)	शेरशाह अभियंत्रण महाविद्यालय, सासाराम।	IIT(ISM), Dhanbad में अंशकालीन पीएच०डी० कोर्स में नामांकन हेतु।
12.	श्री विजय कुमार चौधरी, सहायक प्राध्यापक (यांत्रिकी)	राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर अभियंत्रण महाविद्यालय, बेगूसराय।	IIT(ISM), Dhanbad में अंशकालीन पीएच०डी० कोर्स में नामांकन हेतु।

क्र०सं०	सहायक प्राध्यापक का नाम/पदनाम	पदस्थापित संस्थान का नाम	NOC का प्रयोजन
1	2	3	4
13.	श्री प्रशांत कुमार भाटिया, सहायक प्राध्यापक (यांत्रिकी)	राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर अभियंत्रण महाविद्यालय, बेगुसराय।	IIT(ISM), Dhanbad में अंशकालीन पीएच०डी० कोर्स में नामांकन हेतु।
14.	श्री मनीष प्रताप सिंह, सहायक प्राध्यापक (असैनिक)	शेरशाह अभियंत्रण महाविद्यालय, सासाराम।	NIT, PATNA से चल रहे अंशकालीन पीएच०डी० कोर्स को जारी रखने हेतु।
15.	श्री कृष्णकांत चौबे, सहायक प्राध्यापक (ECE)	राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, औरंगाबाद।	NIT, PATNA से चल रहे अंशकालीन पीएच०डी० कोर्स को जारी रखने हेतु।

- (i.) पीएच०डी० के कार्यों का निष्पादन संस्थानीय अवकाश के दिनों में ही करेंगे। अवकाश के दिनों में भी इन शिक्षकों की आवश्यकता संस्थान में होती है तो इसकी अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। प्राचार्य इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे, यदि इनका उल्लंघन किया जाता है तो संबंधित शिक्षकों के विरुद्ध कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा प्राचार्य द्वारा की जायेगी।
- (ii.) संबंधित शिक्षकों के द्वारा किये जा रहे पठन-पाठन का कार्य एवं अन्य आवंटित दायित्व बाधित नहीं होना चाहिए।
- (iii.) सरकार द्वारा इस हेतु किसी प्रकार के वित्तीय भार का वहन नहीं किया जायेगा।
- (iv.) अवकाश अवधि का यह तात्पर्य नहीं है कि रविवार को संस्थानीय अवकाश मानते हुए शनिवार और सोमवार को अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहेंगे।
- (v.) पीएच०डी० पूरा करने के उपरांत 05 (पाँच) वर्ष तक विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना की सेवा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा बीच में सेवा छोड़ने पर 20 (बीस) लाख रुपये सरकारी कोष में जमा करना अनिवार्य होगा।
- (vi.) पार्ट टाइम/फुल टाइम पीएच० डी० करने की अवधि में विशेष परिस्थिति को छोड़ कर अन्य अवकाश एवं शिशु देखभाल अवकाश (महिला शिक्षकों के लिए) का उपभोग नहीं किया जाएगा।

विश्वासभाजन

18/9/25

अपर सचिव-सह-निदेशक,
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
बिहार पटना।